



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना  
दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

**संख्या 116/एसटी-2.**— हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 115/एसटी-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रूप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात प्रदायों के प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

### सारणी

क्रम संख्या	साक्ष्य
(1)	(2)
1.	अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक, जैसी भी स्थिति हो, की अधिकारिता वाला कर अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति की उक्त समझी गई निर्यात प्रदाय उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं या प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित ऐसा कर बीजक, जिसके अधीन ऐसी प्रदाय पूर्तिकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात प्रदाय उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, की एक प्रति।
2.	समझी गई निर्यात प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी प्रदाय पर कोई इनपुट कर प्रत्यय उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।
3.	समझी गई निर्यात प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी प्रदाय के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्रदायकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकता है।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 18th October, 2017

**No. 116/ST-2.**— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 read with Haryana Government, Excise & Taxation Department Notification No. 115/ST-2, dated the 18th October, 2017, the Governor of Haryana, hereby notifies the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely:-

**Table**

Serial Number	Evidence
(1)	(2)
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.
2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.